

विरेन्द्र कृष्णा मिश्रा

विरुद्ध

भारत संघ व अन्य

(सिविल अपील संख्या 9979/2014)

अक्टूबर 31, 2014

[अनिल आर. दवे, कुरियन जोसेफ तथा आर.के. अग्रवाल, जे.जे.]

सेवा कानून-पदों का संवर्गीकरण - संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव के खिलाफ गारन्टी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा-उप रेजिडेंट कमिश्नर (डी.आर.सी.), पर्यटक सूचना अधिकारी (टीआईओ) और सूचना अधिकारी के पद - स्थिति, ग्रेड, वेतनमान और आईओ के पेशेवर सामग्री, टीआईओ और डीआरसी के पद समान थे - सभी पदों के लिए फीडर कैंडर प्रो-कैंडर समीक्षा समिति ने टीआईओएस और आईओएस को नजरअंदाज करते हुए केवल डीआरसी को शामिल किया- औचित्य-धारणा: उचित नहीं- कैंडर का सम्पूर्ण आचरण समीक्षा समिति मनमानी कर रही थी और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता व सुरक्षा की गारन्टी की गई जो कि घोर उल्लंघन था - एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों को अलग करने का कोई औचित्य नहीं -

यदि डीआरसी के पदों को केवल संवर्गित किया जाता है, तो फीडर में कनिष्ठों को भी पदोन्नत किया जाता है। अण्डमान और निकोबार प्रशासन (सूचना अधिकारी) के तहत आने वाले (सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय में पर्यटक सूचना अधिकारी और उप आवासीय आयुक्त के समूह बी राजपत्रित पद), भर्ती नियम 1988-अण्डमान और निकोबार प्रशासन, भर्ती नियम, 1997 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 मूल अधिकार - समानता का अधिकार - आयोजित: वैध वर्गीकरण के अभाव में बराबरी के अधिकार को मनमाने ढंग से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा समानता के अधिकार की सर्वोत्कृष्टता है, जो भारत के संविधान के तहत गारन्टीकृत एक मौलिक अधिकार है। समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वैध वर्गीकरण के अभाव में समान लोगों को ऐसी समानता के अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता। [पैरा 2] [19-एफ-जी]

1.2. मौजूदा मामले में, प्रारम्भिक सिद्धान्तों पर, कोई यह समझने में विफल रहता है कि कैंडर समीक्षा समिति पर्यटक सूचना अधिकारियों (टीआईओ) की अनदेखी करते हुए केवल उप-स्थानीय आयुक्तों (डीआरसी)

को कैसे शामिल करेगी, सूचना अधिकारियों (आईओ) को छोड़ ही दें। पूरा आचरण मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारन्टी वाली सुरक्षा का घोर उल्लंघन है। [पैरा 15] [31-सी-ई]

1.3. वे व्यक्ति जो एक साथ समूहीकृत हैं उनमें भेद करने का कोई औचित्य नहीं है। फीडर कैंडर आईओ, टीआईओ और डीआरसी तीनों पदों के लिए समर्थक हैं। पदोन्नति वरिष्ठता पर आधारित है। यदि केवल डीआरसी के तीन पद ही संवर्गित हैं, तो फीडर और पदोन्नत श्रेणी के कनिष्ठ केवल डीआरसी के रूप में पोस्टिंग की आकस्मिक स्थिति पर अपने वरिष्ठों से आगे निकल जायेंगे। जिन लोगों ने अपनी नावें जला दी हैं, उन्हें एक साथ चलना चाहिए। इसलिए, न्यायहित की रक्षा की जायेगी और न्याय का मुद्दा तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब भारत संघ को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा समान वरिष्ठता के तहत माने जाने वाले सभी सात पदों को शामिल करने के लिए कोई सकारात्मक निर्देश जारी किया जाएगा। [पैरा 17] [32-डी-जी]

1955 एससी 191: 1955 एससीआर 1045 - संदर्भित

केस कानून संदर्भ:

1955 एससीआर 1045

संदर्भित

पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या
9979।

2012 के कोर्ट नंबर 01 में पोर्ट ब्लेयर के सर्किट, कलकत्ता में उच्च
न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.03.2012 से।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से जे.एस. अत्री, गुरुकृष्ण कुमार, श्री
अडवस, सुरजीत सामन्ता, सुजोय मोण्डल, एस.के. पोद्दार, बिजन कुमार
घोष, रूपेश कुमार, सुश्री मिनाक्षी ग़ोवर (सुश्री सुषमा सुरी की ओर से),
मोहन प्रसाद गुप्ता, आर. बालासुभ्रमण्यम, डी.एस. मेहरा, बी.के. प्रसाद,
हिरेन दसान, सुश्री शान्ता पान्डेय, अविनाश सिंह, एस.के. भट्टाचार्य, डी.के.
मिश्रा

न्यायालय का निर्णय कुरियन जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमोदन किया गया।

2. कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा समानता
के अधिकार की सर्वोत्कृष्टता है, जो भारत के संविधान के तहत गारन्टीकृत
एक मौलिक अधिकार है। समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं
किया जा सकता, बल्कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
वैध वर्गीकरण के अभाव में समान लोगों को ऐसी समानता के अधिकार से
मनमाने ढंग से इन्कार नहीं किया जा सकता है, यदि पहले प्रतिवादी ने

सबसे पवित्र मौलिक अधिकारों में से एक इन प्रारम्भिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा होता, जैसा कि उपर बताया गया है, तो अपीलकर्ता की एक लम्बी खिंच गई तीन स्तरीय मुकदमेबाजी कर्मचारी को टाला जा सकता था।

3. अण्डमान और निकोबार प्रशासन (इनके विभिन्न अधिकारियों, प्रतिवादी संख्या 02 से 05 द्वारा प्रतिनिधित्व) ने सूचना अधिकारी, पर्यटक सूचना अधिकारी और उप रेजिडेंट कमिश्नर (इसके बाद आईओ, टीआईओ, डीआरसी के रूप में संदर्भित) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नागर हवेली (इसके बाद दानिक्स के रूप में संदर्भित) में सिविल सेवा के संवर्गीकरण के लिए गृह मंत्रालय में भारत के प्रथम पक्षकार-संघ से अनुरोध किया है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में डीआरसी के तीन पद, टीआईओ के दो पद, और आईओ के दो पद हैं। अपीलकर्ता आईओ कैडर का है। कैडर समीक्षा समिति ने डीआरसी के केवल तीन पदों के संवर्गीकरण की अनुशंसा की और, तदनुसार, दिनांक 01.10.2009 की सरकार अधिसूचना के माध्यम से डीआरसी के तीन पदों को शामिल किया गया। अपीलकर्ता ने केन्द्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण से सम्पर्क किया, जिसमें आदेश दिनांक 31.01.2012 द्वारा निम्नानुसार आयोजित किया गया:

“13.....सूचना अधिकारी के पद को शामिल न करने का उत्तरदाताओं का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता है इसलिए भारत संघ को अधिसूचना की तारीख से उनके संवर्गीकरण से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया.....

14.....प्रतिवादी भारत संघ को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुसूची 1 में सूचना अधिकारी के पद को शामिल न करने से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करें। यदि उन्हें शामिल किया गया है तो उन्हें संशोधित अनुसूची 1 की अधिसूचना की तारीख से शामिल किया जायेगा।.....“(जोर दिया गया)

4. अपीलकर्ता ने पाया कि निर्देश उसके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उसने अपीलीय पक्ष में कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.03.2012 को आक्षेपित आदेश दिया गया। इसे उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार से माना गया:

“...हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की है। श्री सामन्त का तर्क है कि याचिकाकर्ता प्रोफार्मा उत्तरदाताओं से वरिष्ठ अधिकारी है और यदि डिप्टी को शामिल करने के लिए चयन प्रक्रिया दानिक्स में रेजिडेंट कमिश्नर पर रोक नहीं है, उन्हें उनसे

कनिष्ठ के रूप में काम करना पड सकता है, यह हमें प्रभावित नहीं करता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि यदि सूचना अधिकारी का पद दानिक्स की अनुसूची 1 में शामिल है, यह संशोधित अनुसूची 1 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल आवेदन पर विचार करते समय ट्रिब्यूनल ने चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी और निर्देश दिया था कि यह मूल आवेदन के परिणाम के अधीन होगा।

इसलिए, हमें अधिकारिक उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार दानिक्स में उप-स्थानीय आयुक्तों को शामिल करने के साथ आगे बढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि इसके बाद इस संबंध में की गई कोई भी कार्यवाही ट्रिब्यूनल आदेश के निर्णय के अनुसार की जायेगी।

हालाँकि, हम यह रिकार्ड कर सकते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित श्री दास ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित पुनर्विचार की प्रक्रिया तीन महिने की अवधि के भीतर पूरी

की जाएगी। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुति की अक्षरशः पालना की जायेगी।.....“(जोर दिया गया)

5. फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

6. 11.09.2013 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“ इस याचिका की सुनवाई के समय विद्वान ए.एस.जी. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित हुए- भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत पद जिसमें सूचना अधिकारियों और पर्यटक सूचना अधिकारी सहित, के पद भी शामिल हैं में पदों के संवर्गीकरण के मामले पर विचार किया जा रहा है। उनके द्वारा आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि समीक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाई जायेगी।

हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक समाप्त हो जाये।

04 मार्च, 2014 को सूचीबद्ध।

दिनांक 20.04.2012 के एक आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी उपनिवासी को शामिल करने की बात दर्ज की गई है वह याचिका का परिणाम दानिक्स का आयुक्त अंतिम के अधीन होगा, इससे पता चलता है कि दानिक्स के डिप्टी रेजिडेंट को शामिल करने के संबंध में कोई रोक नहीं है।(जोर दिया गया)

7. 27.07.2012 को दायर जवाबी हलफनामों में, भारत संघ ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि:

“.....मंत्रालय वर्तमान एसएलपी के अंतिम नतीजे तक डीआरसी के कैंडिडेट की प्रक्रिया को रोकने का इरादा रखता है, क्योंकि संवर्गीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव है.....।”

8. कैंडिडेट समीक्षा समिति, द्वारा 09.01.2014 को आयोजित अपनी बैठक (अनुलग्नक-सी 2014 के आईए संख्या 11 के साथ प्रस्तुत) में निम्नलिखित निर्णय लिया:

“5. संवर्गीकरण का पूरा मुद्दा, प्रासंगिक नियम और दानिक्स की कैंडिडेट संरचना से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर विस्तार से चर्चा करता है। अधिकारियों ने संवर्गीकरण के लिए जो ज्ञापन दिए उन पर भी चर्चा की

गई। यह भी कहा गया कि कोई भी अदालती आदेश किसी विशेष पद को शामिल करना अनिवार्य नहीं बनाता है। ए एण्ड एन प्रशासन की सिफारिशे विभिन्न ओएए/डब्ल्यूपी/एसएलपी में सभी शिकायतें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.09.2013 के कैंडर समीक्षा समिति की कार्यवाही के निर्देश और रिकॉर्ड पर सभी सामग्री पर विचार करने के बाद, सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती डीआरसी द्वारा तय किए गये और विधिवत अधिसूचना के अनुसार संवर्गीकरण के लिए डीआरसी के 3 पद अनुशंसित कर स्वीकार किया गया था कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आईओ/टीआईओ के पदों का संवर्गीकरण के अनुरोध और दानिक्स के पदों का संवर्गीकरण के संबंध में अन्य दूरस्थ केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्य समान अनुरोधों पर प्रशासनिक आवश्यकता, संवर्ग संरचना और पिरामिड अगली कैंडर समीक्षा के नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

एसडी/- (अनुज शर्मा)

एसडी/- (कैलाश चंद्र)

निदेशक (सेवाएं) सचिव (सेवाएं)

एसडी/- (आई एस चहल) संयुक्त सचिव (समस्त केन्द्र शासित प्रदेश)

(जोर दिया गया)

9. यह जानकर हैरानी तो जरूर होती है कि कैंडर समीक्षा समिति ने

किसी भी प्रासंगिक पहलू पर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया है। इसने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष भारत सरकार की ओर से की गई दलीलो और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2013 के आदेश के तहत जारी निर्देश को वस्तुतः नजरअंदाज कर दिया है।

10. निर्विवादित तथ्यात्मक एवं कानूनी स्थिति इस प्रकार है:

क. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि “ सूचना अधिकारी के पद को शामिल नहीं करने का उत्तरदाताओं का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है। भारत संघ को अधिसूचना की तारीख से उनके पुनर्संवर्गीकरण से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है, जिसे अब तक भारत संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

ख. उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुनर्विचार की प्रक्रिया की जा रही है।

ग. इस न्यायालय के समक्ष 27.07.2012 को दायर हलफनामों में, भारत संघ ने प्रस्तुत किया है कि “...मंत्रालय वर्तमान एसएलपी के अंतिम परिणाम तक डीआरसी के पुनर्संवर्गीकरण प्रक्रिया को रोकने का इरादा रखता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद से पुनर्संवर्गीकरण की समीक्षा का प्रस्ताव है.....”

घ. 11.09.2013 को इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ की ओर से

पुनः प्रस्तुत किया गया था कि“सूचना अधिकारियों और पर्यटक सूचना अधिकारियों सहित विचाराधीन पदों के संवर्गीकरण के संबंध में मामले पर विचार किया जा रहा है.....“

ड. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सूचना अधिकारियों, पर्यटक सूचना अधिकारियों और उप-स्थानीय आयुक्तों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची रखता है। अंतिम वरिष्ठता सूची 07.02.2001 की है और उसके बाद एक अनंतिम वरिष्ठता सूची जनवरी 2014 में प्रकाशित की गई थी। (2014 की आईए संख्या 11 में अनुबंध - बी)

च. दोनो नियमों के तहत अर्थात् अण्डमान और निकोबार प्रशासन (सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय में सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 और अण्डमान और निकोबार प्रशासन (पर्यटक सूचना अधिकारी और उप आवासीय आयुक्त के समूह बी राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1997, के तहत पदों को समान वेतनमान के साथ समूह बी राजपत्रित गैर-मंत्रालयी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

छ. यदि नियुक्ति की विधि पदोन्नति है, तो यह जनसम्पर्क अधिकारी की फीडर श्रेणी, एक सामान्य फीडर कैडर से है।

ज. पद विनिमेय है। प्रशासन का यह विशिष्ट रुख है कि कोलकाता, चैन्नई और नई दिल्ली में तैनात कर्मियों को केवल उप-स्थानीय आयुक्त

के रूप में नामित किया जाना चाहिए क्योंकि उन स्थानों पर पद उक्त श्रेणी के हैं।

इ. दानिक्स, 2003 के नियम 4 (2) में विशेष रूप से प्रावधान है कि सरकार ऐसे पदों को सेवा में शामिल कर सकती है जो स्थिति, ग्रेड, वेतनमान और पेशेवर सामग्री में सेवा में शामिल पदों के बराबर हैं। उद्धरण के लिए:

“4. ग्रेड, संख्या और उनकी समीक्षा:-

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि पर विभिन्न ग्रेडों में शामिल ड्यूटी पद, उनकी संख्या और उनसे जुड़े वेतनमान अनुसूची 1 में निर्दिष्टानुसार होंगे:

बशर्ते कि दस प्रतिशत और बीस प्रतिशत सेवा में पदों की स्वीकृत संख्या क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 और चयन ग्रेड के गैर-कार्यात्मक ग्रेड होंगे, और इन्हें अनुसूची 1 के भाग बी और सी में निर्दिष्ट पदों की संबंधित संख्या के भीतर संचालित किया जायेगा।

आगे बताया गया है कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 के पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक के ग्रेड पे-स्केल 12,000 - 16,500 में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं हो सकती है।

(2) उपनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सरकार ऐसा

कर सकती है-

(क) विभिन्न ग्रेड में ड्यूटी पदों में समय \leq पर अस्थायी परिवर्धन अथवा परिवर्तन करे।

(ख) आयोग से परामर्श से ऐसे पदों को सेवा में शामिल करें जो सेवा की स्थिति ग्रेड, वेतनमान और पेशेवर संबंध में शामिल पदों के बराबर समझे जाते हैं या सेवा से बाहर कर दें, जो सेवा में पहले से ही शामिल हैं; और

(ग) आयोग के परामर्श से उस पद के नियमित पदधारी को नियुक्त करेगा जिसे सेवा में कर्तव्य पद के रूप में सेवा के उचित ग्रेड में शामिल किया गया है और उक्त पद या एनालाॅग ग्रेड में उसके द्वारा प्रदान किये गये नियमित पद को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता तय करेगा।

(3) उपनियम (2) के खण्ड (बी) और (सी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि सेवा में शामिल किए गये पद का कोई भी नियमित पदधारी खण्ड (सी) के तहत सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। उप-नियम (2) के अनुसार, वह पद पर बने रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए पद को तब तक सेवा से बाहर रखा हुआ माना जायेगा जब तक कि वह पदधारी के पास है। सेवा में शामिल करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता की हर साल समीक्षा की जायेगी।“

ग. प्रशासन का यह विशिष्ट रूख है कि स्थिति, ग्रेड, वेतनमान और पेशेवर सामग्री में, 1989 के नियमों के तहत सर्जित सूचना अधिकारी के पद, पर्यटक सूचना अधिकारी के पद तथा 1997 के नियमों के तहत सर्जित उप-रेजिडेंट कमिश्नर के पद समान है।

ट. कैडर समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 24.10.2005 को निम्नानुसार समाधान किया गया था:

“4(४)बी. जिन पदों पर दानिक्स नियम 2003 की अनुसूची-1 में शामिल पदों के समान कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, हालांकि पदनाम में भिन्नता हैं, उन्हें संबंधित ग्रेड में अनुसूची में शामिल किया जा सकता है ;साथ ही

सी वे पद जो प्रकृति में कार्यकारी और प्रशासनिक हैं, लेकिन कोई पदोन्नति ग्रेड नहीं है, उन्हें दानिक्स नियम 2003 की अनुसूची 1 में उचित ग्रेड में शामिल किया जा सकता है।(जोर दिया गया)

ठ. आईओ या टीआईओ और डीआरसी के पद पर पदोन्नति के समय, पदोन्नत व्यक्ति के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। यह महज संयोग है कि रिक्ति के आधार पर किसी को डीआरसी के रूप में

नियुक्ति मिल जाती है।

परिशिष्ट-पी07 में, पत्र दिनांक 03.06.2009, गृह मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग को संबोधित अपने पत्र में विशिष्ट रूख अपनाया है कि:

“4.उपरोक्त नियमों के नियम 4 (2) के अनुसार, सरकार समय-पर विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों में अस्थायी वृद्धि या परिवर्तन कर सकती है, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे सेवा परामर्श पद जिन्हें स्थिति, ग्रेड, वेतनमान में सेवा में शामिल पद के बराबर माना जाता है और पेशेवर सामग्री या सेवा में पहले से ही शामिल ड्यूटी पद को सेवा से बाहर कर दें, को इसमें शामिल कर सकती है।”

11. इतनी स्पष्ट तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति के बावजूद कैंडर समीक्षा समिति ने लापरवाही से ही सही लेकिन बेदर्दी से यह निर्णय नहीं लिया है कि अगले कैंडर समीक्षा के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के सूचना अधिकारियों और पर्यटक सूचना अधिकारियों के पद के संवर्गीकरण पर भारत संघ की ओर से प्रस्तुतीकरण द्वारा अगले कैंडर समीक्षा के दौरान विचार किया जायेगा जिसे हमने यहां निकाला है कि उच्च न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष पहला प्रतिवादी चतुराई से नहीं

तो स्पष्टरूप से सकारात्मकता को टाल रहा है। संवर्ग समीक्षा समिति ने अपने कार्यवृत्त में यह दर्ज करने का उतावलापन ही नहीं बल्कि साहस भी दिखाया है कि किसी भी पद को शामिल करने के लिए कोई सकारात्मक निर्देश नहीं है। अतिरेकता के जोखिम पर भी यह ध्यान दिया जा सकता है कि 11.09.2003 के बावजूद भी इन मामले में कोई रोक नहीं थी। उन्होंने तीन अधिसूचित डीआरसी के संवर्गीकरण को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ाया कि पूरे मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

12. हालांकि पार्टी के उत्तरदाताओं द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि दो अलग-अलग डिवीजन हैं, प्रशासन का यह स्पष्ट रूख है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, स्थापना एक ही है। केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश का पैराग्राफ-12 जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि यह इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है कि व्यावहारिक रूप से विभाग का कोई विभाजन नहीं है।

“12. सूचना अधिकारी और उप आवासीय आयुक्त/पर्यटन सूचना अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम क्रमशः 1988 और 1997 में बनाये गये थे। 2001 और 2003 की सिफारिशें 2003 के नियमों के निर्माण से पहले प्रस्तुत की गई थीं। 2003 की सिफारिश में अनुसूची 2 में फीडर ग्रेड में पदोन्नति के बजाय अनुसूची 1 के तहत संवर्गीकरण में

शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इन पदों को किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। 2005 के प्रस्ताव में उप-स्थानीय आयुक्त और सूचना अधिकारियों के पदों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। सीआरसी की रिपोर्ट में सूचना पदाधिकारी के पद का जिक्र नहीं है। भारत संघ ने अपने जवाब में यह खुलासा नहीं किया कि क्या सूचना अधिकारियों का प्रस्ताव सीआरसी के समक्ष रखा गया था और क्या सीआरसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और उसकी जांच के दौरान इस पहलू पर ध्यान दिया गया था। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय को दो प्रभागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अण्डमान और निकोबार प्रशासन के उत्तर से यह पता नहीं चलता है कि इसके परिणामस्वरूप संवर्ग को विभाजित किया गया था या नहीं। उत्तर में भारत संघ द्वारा प्रस्तुत एकमात्र आधार यह है कि संवर्ग की ताकत 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और इसलिए समान स्थिति वाले पदों को छोड़ दिया गया था। नई अनुसूची में 7 पद शामिल किये गये हैं।“

13. प्रतिवादी 2 से 5, 13.12.2012 को दायर जवाबी हलफनामों में,

पैराग्राफ-3 और 4 में निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये:

“3. अण्डमान और निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के सूचना, प्रचार, और पर्यटन निदेशालय के सूचना अधिकारी (आईओ), पर्यटक सूचना अधिकारी (टीआईओ) और उप-स्थानीय आयुक्त डीआरसी) के पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारिया, समान वेतनमान/ग्रेड वेतन के साथ प्रकृति में कार्यकारी/प्रशासनिक है। कर्तव्यों में विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध में समन्वय शामिल है। ए एण्ड एन द्वीप समूह और टीआईओ, आईओ और उक्त पदों के पदधारियों के लिए कोई अलग कैडर नहीं है। डीआरसी के पास अपने पूरे सेवाकाल के दौरान पदोन्नति के कोई अवसर नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति तक वे उसी पद पर बने रहे।

4. इसलिए यूटीसी को शामिल करने के लिए इन पदों को धारण करने वाले पदाधिकारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, और वर्ष 2001 में, ए एण्ड एन प्रशासन ने 3 पदों के एक साथ संवर्गीकरण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा। उप- स्थानीय आयुक्त, पर्यटक सूचना अधिकारी के 2 पद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली

सिविल सेवा (दानिक्स)संवर्ग में सूचना अधिकारी के 2 पद, जिसमें कहा गया है

समान/समान भर्ती नियम, समान वेतनमान और समान प्रकृति के कर्तव्य और जिम्मेदारियां होने से पद परस्पर परिवर्तनशील होते हैं। कोई विभाजन नहीं हुआ है और ये सभी पद विनिमेय है।“(जोर दिया गया)

14. जैसा भी हो, इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ का विशिष्ठ रूख यह है:

“इन सभी आवेदनों को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 31.01.2012 को एक सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाया गया था। उक्त आदेश को श्री वी.के. मिश्रा द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर बेंच में सीओसीटी संख्या 001/2012 में चुनौती दी गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2012 द्वारा निस्तारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को श्री वीरेन्द्र कृष्ण मिश्रा द्वारा दायर त्वरित एसएलपी के तहत चुनौती दी जा रही है। इन घटनाक्रमों के कारण, मंत्रालय वर्तमान एसएलपी के

अंतिम परिणाम तक डीआरसी के संवर्गीकरण की प्रक्रिया को रोकने का इरादा रखता है क्योंकि संवर्गीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश की अनुपालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उक्त आदेश को अपीलार्थियों द्वारा चुनौती दी गई है।(जोर दिया गया)

15. इसके अलावा, अण्डमान और निकोबार प्रशासन (सूचना प्रचार और पर्यटक निदेशालय में पर्यटक सूचना अधिकारी और उप- आवासीय आयुक्त का समूह बी राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1997 अनुसूची में पर्यटक सूचना अधिकारी और उप-आवासीय आयुक्त पद के नाम का प्रावधान है। उप-आवासीय कमिश्नर के लिए कोई अलग भर्ती नियम नहीं है।, नियमों के तहत पद पर्यटक सूचना अधिकारी और उप-निवासी आयुक्त का है। यदि ऐसा है तो प्राथमिक सिद्धान्तों पर कोई यह समझने में विफल रहता है कि संवर्ग समीक्षा समिति पर्यटक सूचना अधिकारी को अनदेखी करते हुए केवल उप स्थानीय आयुक्तों को कैसे शामिल करेगी, सूचना अधिकारियों को तो छोड़ ही दे। पूरा आचरण मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारन्टी वाली सुरक्षा का घोर उल्लंघन है।

16. हालांकि भेदभाव के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारन्टी के लिए किसी विस्तृत चर्चा या संदर्भ की आवश्यकता

नहीं है। हम बुधन चौधरी व अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गये शुरुआती संविधान पीठ के फैसले में से एक का उल्लेख करेंगे जिसमें पैराग्राफ 5 में इसे निम्नानुसार रखा गया है:-

“(5).... अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून पर रोक लगाता है लेकिन यह विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। हालांकि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा पास करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् (i) कि वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गये अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत किया गया और व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है (ii) कानून द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य का प्रश्न तर्कसंगत होना चाहिए। वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, अर्थात् भौगोलिक वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। आवश्यकता यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद

14 न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निन्दा करता है।“

17. भारत संघ की ओर से मनमाने और भेदभाव पूर्ण आचरण के लिए कोई प्रशनीय स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है जो एक साथ समूहबद्ध है। वहां, व्यक्तियों को अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। फीडर कैंडर आईओ, टीआईओ और डीआरसी के सभी तीनों पदों के समर्थक है। पदोन्नति वरिष्ठता पर आधारित होती है। यदि डीआरसी के केवल 3 पर संवर्गीकृत किये जाते हैं, फीडर से जुनियर के साथ-साथ पदोन्नत दोनो केवल डीआरसी के रूप में नियुक्ति को आकस्मिक स्थिति पर अपने वरिष्ठों से आगे निकल जायेंगे। सभी पद समान वेतनमान रखते हैं। वे एक ही श्रेणी में समूह बी के पद पर आते हैं। पेशेवर विषय-वस्तु स्थिति और श्रेणी समान है। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि वर्ग के भीतर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी नावे जला दी है उन्हें एक साथ चलना चाहिए। इसलिए हमारा विचार है कि न्याय के हित की रक्षा की जायेगी और न्याय का मामला तभी आगे बढ़ाया जायेगा जब अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा माने जाने वाले सभी सात पदों को शामिल करने के लिए भारत संघ को सकारात्मक निर्देश जारी किये जाये। एक सामान्य वरिष्ठता इसलिए प्रथम प्रतिवादी भारत संघ को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के

तहत सूचना अधिकारी, पर्यटक सूचना अधिकारी और उप-आवासीय आयुक्त के सभी सात पदों के संवर्गीकरण के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देती है। यह प्रक्रिया निर्णय की अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से एक महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि उपर बताया गया है संवर्गीकरण उसी तारीख से प्रभावी होगा।

18. अपील की अनुमति है। अपीलार्थी 50,000/- रुपये की लागत का हकदार होगा। लागत प्रथम प्रतिवादी द्वारा वहन की जायेगी।

बिधुति भूषण बोस

अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक शंकर लाल गुप्ता, (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।